संख्या: 3262 /एक-10-2018-33(35)/2018

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में सूखा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0- 2560, दिनांक 25.10.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश सं0-157/एक-11-2018-6(जी)/2017, दिं0 21.03.2018 एवं शासनादेश सं0-161/एक-11-2018-6(जी)/2017,दिं0 06.04.2018 द्वारा सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिए जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता के रूप में खाद्यान्न सामग्री वितरण हेतु राजस्व अनुभाग-10 का शासनादेश दिनांक 20.04.2018 निर्गत किया गया है, जिसमें वर्ष 2018 में सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों के जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री के रूप में 15 **किग्रा आटा, 25 किग्रा आलू, 05 किग्रा चने की दाल, 03 लीटर सरसो का तेल, 01 किग्रा शुद्ध देशी घी, 01 किग्रा आयोडीनयुक्त नमक तथा बच्चों के लिए प्रति परिवार 01 किग्रा मिल्क पाउडर** का वितरण की व्यवस्था की गयी है।

2- प्रथम चरण में खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री वितरित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1210/1-10-2018-33(36)/2018 दिं0 11.05.2018 द्वारा धनराशि रू0 2881.80 लाख तथा द्वितीय चरण में शासनादेश संख्या-1793/1-10-2018-33(36)/2018 दिं0 15.06.2018 द्वारा जनपद सोनभद्र को धनराशि रू0 2881.80 लाख आवंटित की गयी है। पुन: जनपद सोनभद्र में कम बुआई के दृष्टिगत आपके विशेष अनुरोध पर निर्धारित खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री का वितरण तीसरे चरण में 15 दिन की अवधि के लिए बढाये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0-1962/एक-10-2018-33(35)/2018, दिनांक 23.08.2018 द्वारा प्रदान की गयी।

3- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सूखा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को तीसरे चरण में दिनांक: 01-07-2018 से 15-07-2018 की अवधि के लिए खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री वितरण पर आने वाले व्यय भार के वहन हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 1440.89841 लाख (रूपये चौदह करोड चालीस लाख नवासी हजार आठ सौ इकतालीस मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम/ पत्रांक सं0 व दिनांक/	स्वीकृत की जानी वाली धनराशि (लाख में)
1-	सोनभद्र, पत्रांक: 2560, दिनांक: 25.10.2018	1440.89841
	कुल योग रू0	1440.89841
(रूपये चौदह करोड चालीस लाख नवासी हजार आठ सौ इकतालीस मात्र)		

Scanned by CamScanner

4- शासन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेपित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्वन्धित जनपदीय कोपागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ***"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-05-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय"*** के नामे डाला जायेगा। टी0आर0-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

6- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

7- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

8- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

9- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

10- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

11- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.ए0आई0सी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

12- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा

Scanned by CamScanner

स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

13- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

14- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या- 3262 (1)/एक-10-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त मीरजापुर मण्डल।
3. विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ०प्र०।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उप्र0।
8. जनपद सोनभद्र के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
10. समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner